सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

निगरानी 1158-II-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs.20/-

134
12.5.15

नरोत्तम मिश्रा तनय गणेश प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम पड़रहा, तह0 जवा जिला रीवा (म0प्र0) ....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

श्रीमती कलावती मिश्रा पत्नी कृष्ण गोपाल मिश्रा निवासी ग्राम खम्हरिया, तह0 जवा जिला रीवा (म0प्र0) ....गैर निगरानीकर्ता

श्री जी.डी. मिश्रा .... एड के द्वारा आज दिनांक 12.05.15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त संभाग रीवा के अपंजीकृत/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 27.04.15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2– यह कि निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम डभौरा की आ0ख0नं0 1241/7 रकवा 0.053 हे0 पूर्व भूमिस्वामी चंन्द्रभान दुबे से नक्शा तरमीमशुदा भूमि क्रय कर काबिज दखील है। प्रश्नाधीन भूमि पर निगरानीकर्ता भारतीय स्टेट बैंक शाखा डभौरा से ऋण लेकर भवन निर्माण शुरू किया गया जो पूर्ण हो चुका है। निगरानीकर्ता द्वारा तथाकथित भूमि क्रय करने के पश्चात उसका विधिवत् सीमांकन कराया गया जिसकी पुष्टि तहसीलदार तह0 जवा द्वारा की गई थी। सीमांकन पश्चात निगरानीकर्ता द्वारा निर्माण कार्य किया गया है। गैर निगरानीकर्ता बिना किसी आधार के परीक्षण न्यायालय के समक्ष धारा 250 का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें निगरानीकर्ता उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से प्रतिवेदन मंगाया गया, हल्का पटवारी द्वारा निगरानीकर्ता का निर्माण आ0नं0 1241/7 में पाया गया। 1241/12 में कोई भी निर्माण नहीं पाया गया। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधि संगत आदेश पारित किया गया था

एड. जी.डी. मिश्रा

R1158-II/15 रीवा

नरोत्तम मिश्रा – कलावती मिश्रा

(15)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-3-16	– आवेदक व उसके अधिवक्ता लगातार कई पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। – अनावेदक व उसके अधिवक्ता स्थगनोपरान्त उपस्थित नहीं। (97) – वास्ते विचारार्थ। C.F. 18-5-16 आज्ञा से [signature]	
18-5-16	– आवेदक व उसके अधिवक्ता लगातार कई पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। (64) – वास्ते विचारार्थ। C.F. 14-6-16 आज्ञा से, [signature]	
14-6-16	1- प्रकरण पेश। 2. आवेदक तथा उनके अभिभाषक श्री जी.डी. मिश्रा की पुकार करायी गयी। आवेदक तथा अभिभाषक स्थगन उपरांत लगातार चार पेशियों से उपस्थित नहीं है अतः प्रकरण संहिता की धारा 35(2) के तहत अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 3. प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। [signature] सदस्य	